

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 523/2021 (वाद)

GCMS NO: 2021/850

अनवान

श्री श्रीमती गजरी बाई पुत्री गला जी रेवारी पतनी गिरधारी जी रेवारी निवासी सगतपुरा हाल सपोल तहसील राजसमन्द राज.।

.....वादी

बनाम

श्री सवा पिता गला जी रेवारी निवासी सगतपुरा हाल गोगा का गुडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.07.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सगतपुरा पटवार हल्का वागियातलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सवा पुत्र गला हिस्सा पूर्ण जाति रेवारी सा. देह खातेदार	37/1	0.54	बा.चतुर्थ	1.08
	योग	किता 1	0.5400	-	1.08
2	गजरीबाई पुत्री गला हिस्सा पूर्ण जाति रेवारी सा. देह खातेदार	37/2	0.54	बा.चतुर्थ	1.08
	योग	किता 1	0.5400	-	1.08

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

